परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 10 जून,2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे की कार्यवाही

आज दिनांक 10.06.2020, दिन बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित अकादमिक कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डा0 आरती लाल चन्दानी, डीन, चिकित्सा संकाय, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, डीन, एडवांस स्टडीज ऑफ सोशल साइंस, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर	सदस्य
4.	प्रो0 एस0सी0 अग्रवाल, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय,, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	डा0 संदीप कुमार सिंह, सह–आचार्य,प्रौढ एवं सतत् शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डा0 अंशु यादव, सह–आचार्या, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8	डा0 गायत्री सिंह, प्राचार्या, अर्मापुर पी0 जी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डा. अवधेश सिंह, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सचिव

सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया की अनुमति से परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सचिव द्वारा दो नये सदस्यों प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, संकायाध्यक्ष, एडवांस स्टडीज ऑफ सोशल सांइस, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय कानपुर एवं डा0 अंशु यादव, सह–आचार्या, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय कानपुर को परीक्षा समिति का सदस्य नामित होने पर बधाई देते हुए उनका स्वागत किया गया। तदोपरान्त् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी।

बिन्दु सं0 : 1– परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 04–02–2020 एवं ऑनलाइन बैठक दिनांक 18–04–2020 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 04–02–2020 को सम्पन्न हुई सामान्य बैठक एवं दिनांक 18–04–2020 को सम्पन्न हुयी ऑनलाइन बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

बिन्दु सं0 : 2– स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन के कारण स्थगित की गयी (लिखित एवं प्रायोगिक) परीक्षाओं को आयोजित किये जाने पर विचार।

निर्णय :– विश्वविद्यालय की स्नातक एवं परास्नतक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ दिनांक 25 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 17 मार्च, 2020 तक सम्पन्न करायी जा चुकी हैं। परन्तु कोविड–19 की वैश्विक महामारी के कारण शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 18 मार्च, 2020 से आगे की समस्त परीक्षाएँ अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गयी थीं।

क्रमशः पृष्ठ ...2....

10.6.2020

10/6/2020

Scanned with CamScanner

वर्तमान में कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष की परीक्षाएँ दो चरणों में माह जुलाई में शासन से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त परीक्षा केन्द्रों को पूरी तरह से सेनिटाइज कराने, मास्क इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सोशल डिस्टेन्सिंग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आसन्न व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए दो चरणों में परीक्षा सम्पन्न कराये जाने का निर्णय परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। प्रथम चरण में अन्तिम वर्ष की समस्त परीक्षाएँ सम्पादित कराये जाने तथा द्वितीय चरण में शेष अन्य सभी परीक्षाओं को सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया। सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 की महामारी के कारण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी जनपदों के कई परीक्षा केन्द्रों को क्वारेन्टाइन सेन्टर बना दिया गया है। अतः जुलाई माह में प्रस्तावित परीक्षा के दृष्टिगत ऐसे महाविद्यालयों को यदि परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व क्वारेन्टाइन सेन्टर से मुक्त कर दिया जाता है तो परीक्षा केन्द्र यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया अन्यथा की स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र नजदीक के महाविद्यालयों में बनाये जाने निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया।

स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में भी वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सर्वसम्मति से परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण नहीं फैल रहा है ऐसे महाविद्यालय अपने यहॉ स्नातक, परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रमों के शेष वायवा व प्रेक्टिकल सम्पन्न करा सकते हैं परन्तु ऐसे महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्बद्ध प्रत्येक जनपद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय हेतु परीक्षकों का एक पैनल उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये परीक्षक द्वारा यदि प्रायोगिकी परीक्षा सम्पन्न कराये जाने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो सम्बन्धित जनपद हेतु दिये गये पैनल में किसी भी परीक्षक से प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है। परन्तु पैनल से नियुक्त किये जाने वाले परीक्षक को इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने 05 से अधिक महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षक के रूप दायित्व का निर्वहन सत्र 2019–20 में नहीं किया गया है। यदि किसी परीक्षक द्वारा 05 से अधिक महाविद्यालयों में परीक्षकत्व के दायित्व निर्वहन बिना कुलपति की पूर्व अनुमति किए जाने की सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो ऐसे महाविद्यालय की प्रायोगिकी परीक्षा अमान्य किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं0 : 3– विश्वविद्यालय की End सेमेस्टर पाठ्यक्रमों 2020 की परीक्षाओं के आयोजन पर विचार।

निर्णय :– विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की End सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के आयोजन के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कि वर्तमान में सेमेस्टर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों से इस आषय का पत्र प्रेषित किया जाय कि उनके यहॉ संचालित सेमेस्टर कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा करा लिया गया है अथवा नहीं तथा जिन महाविद्यालयों में सेमेस्टर कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, उन्हें 30 जून, 2020 तक पाठ्यक्रम पूर्ण करा लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय। तत्पश्चात् महाविद्यालय खोने जाने एवं शासन से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षा कराये जाना समीचीन होगा।

क्रमशः पृष्ठ ...3....

10.6.2020

10/6/2020

Scanned with CamScanner

वर्तमान में कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष की परीक्षाएँ दो चरणों में माह जुलाई में शासन से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त परीक्षा केन्द्रों को पूरी तरह से सेनिटाइज कराने, मास्क इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सोशल डिस्टेन्सिंग की निर्धारित प्रकिया के अनुसार आसन्न व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए दो चरणों में परीक्षा सम्पन्न कराये जाने का निर्णय परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। प्रथम चरण में अन्तिम वर्ष की समस्त परीक्षाएँ सम्पादित कराये जाने तथा द्वितीय चरण में शेष अन्य सभी परीक्षाओं को सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया। सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि कोविड–19 की महामारी के कारण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी जनपदों के कई परीक्षा केन्द्रों को क्वारेन्टाइन सेन्टर बना दिया गया है। अतः जुलाई माह में प्रस्तावित परीक्षा के दृष्टिगत ऐसे महाविद्यालयों को यदि परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व क्वारेन्टाइन सेन्टर से मुक्त कर दिया जाता है तो परीक्षा केन्द्र यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया अन्यथा की स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र नजदीक के महाविद्यालयों में बनाये जाने निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया।

स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में भी वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सर्वसम्मति से परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण नहीं फैल रहा है ऐसे महाविद्यालय अपने यहॉ स्नातक, परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रमों के शेष वायवा व प्रेक्टिकल सम्पन्न करा सकते हैं परन्तु ऐसे महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्बद्ध प्रत्येक जनपद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय हेतु परीक्षकों का एक पैनल उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये परीक्षक द्वारा यदि प्रायोगिकी परीक्षा सम्पन्न कराये जाने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो सम्बन्धित जनपद हेतु दिये गये पैनल में किसी भी परीक्षक से प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है। परन्तु पैनल से नियुक्त किये जाने वाले परीक्षक को इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने 05 से अधिक महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षक के रूप दायित्व का निर्वहन सत्र 2019–20 में नहीं किया गया है। यदि किसी परीक्षक द्वारा 05 से अधिक महाविद्यालयों में परीक्षकत्व के दायित्व निर्वहन बिना कुलपति की पूर्व अनुमति किए जाने की सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो ऐसे महाविद्यालय की प्रायोगिकी परीक्षा अमान्य किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं0 : 3– विश्वविद्यालय की End सेमेस्टर पाठ्यक्रमों 2020 की परीक्षाओं के आयोजन पर विचार।

निर्णय :– विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 की End सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के आयोजन के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कि वर्तमान में सेमेस्टर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों से इस आषय का पत्र प्रेषित किया जाय कि उनके यहॉ संचालित सेमेस्टर कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा करा लिया गया है अथवा नहीं तथा जिन महाविद्यालयों में सेमेस्टर कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, उन्हें 30 जून, 2020 तक पाठ्यक्रम पूर्ण करा लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय। तत्पश्चात् महाविद्यालय खोने जाने एवं शासन से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षा कराये जाना समीचीन होगा।

क्रमशः पृष्ठ ...3....

10.6.2020

10/6/2020

Scanned with CamScanner

बिन्दु सं0 : 4– राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 24/04/2020 द्वारा प्रेषित नवीन चुनौती मूल्यांकन(Challenged Evaluation) अध्यादेश को लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय :– उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक समान व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24/04/2020 के साथ संलग्न चुनौती मूल्यांकन नियमावली को परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त नियमावली सत्र 2020–21 से प्रभावी मानी जायेगी।

बिन्दु सं0 : 5– अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से, में निम्न प्रकरण परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये गये–

(क) पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के शोधार्थियों का वाइवा ऑनलाइन सम्पन्न कराये के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए जाने पर विचार–

निर्णय :– वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम के शोधार्थियों का वाइवा सम्पन्न कराने में कठिनाई उत्पन्न होने के कारण परीक्षा समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि वायवा हेतु सम्बन्धित मूल्यांकनकर्ताओं एवं शोधार्थी से सम्पर्क स्थापित करते हुए सहमति प्राप्त होने के उपरान्त पी–एच0डी0 का ऑनलाइन वाइवा सम्पन्न कराया जाय साथ ही वायवा कराने की समस्त तकनीकी व्यवस्थाएँ प्रभारी–ई0डी0पी0 द्वारा नियंत्रित की जायेगी साथ ही सम्पूर्ण वायवा की रिकार्डिंग भी सुरक्षित रखी जायेगी।

(ख) पी–एच0डी0 छात्रों को कोविड–19 के कारण लॉकडाउन किये जाने के कारण थीसिस जमा करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने पर विचार–

निर्णय :– वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत विगत तीन माह से लॉकडाउन होने के कारण कई पी–एच0डी0 छात्र अपनी थीसिस जमा नहीं कर पाये हैं। अतः ऐसे शोधार्थी जिनको मार्च,अप्रैल,मई, 2020 में शोध प्रबन्ध जमा करना था, उन्हें 06 माह का अतिरिक्त समय शोध प्रबन्ध जमा करने हेतु दिये जाने निर्णय सर्वसम्मति से परीक्षा समिति द्वारा लिया गया ।

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

10.6.2020
डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

10/6/2020
प्रो0(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with CamScanner